कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर -- 342001

email- jdajodhpur- rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 0291-2615372

क्रमांक/बैठक/2023/2280 दिनांक :: 08 जून, 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार आई.ए.एस. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 08 जून, 2023 को अपरान्ह् 04.00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में आयेाजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

01. श्री जयनारायण मीणा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
02. श्री जगदीश प्रसाद निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक अभियांत्रिकी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. श्री श्रवण सिंह राजावत उपायुक्त जोन 3 व 4 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
05. श्री प्रकाश अग्रवाल उप सचिव एवं उपायुक्त जोन–5 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
06. श्री श्रवण कुमार उपायुक्त जोन–6, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
07. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। जिन पर बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव संख्या 01 :: ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 1 व 7 में जिला युवा बोर्ड (युवा मामले एवं खैल विभाग, राजस्थान सरकार) को 2000 व.मी. भूमि को आवंटन के बाबत।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 1 व 7 में जिला युवा बोर्ड (युवा मामले एवं खैल विभाग, राजस्थान सरकार) को 2000 व.मी. भूमि को आवंटन के बाबत।	ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 1 व 7 में जिला युवा बोर्ड (युवा मामले एवं खैल विभाग, राजस्थान सरकार) को 2000 व.मी. भूमि को आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 1 व 7 में सचिव, जिला युवा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'स' में आवेदन प्रस्तुत कर 2000 व.मी. निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा सं 1 व 7 नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज है उक्त भूमि रिक्त व किस्म गै.मु. पहाड़ी है।

उक्त संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार खसरा सं 7 में विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित है। अतः पटवारी द्वारा पुनः रिपोर्ट प्राप्त करते हुए प्रस्तावित भूमि को खसरा सं 01 में पूर्व में सुमेर शिक्षण संस्थान को आवंटित भूमि के पास में 60 फीट रोड़ पर 2000 व.मी भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया गया हैं। उक्त भूमि आयोजना शाखा के प्राप्त रिपार्ट अनुसार उक्त भूमि का एमडीपी–2031 एवं जेडडीपी–2031 के अनुसार आवासीय उपयोग दर्शित है। डीसीआर रिपोर्ट अनुसार आवासीय क्षेत्र में होस्टल अनुज्ञेय है।

उक्त संबंध में जेडीए, जोधपुर की वेबसाइट दिनांक 2.6.2023 को 15 दिवस की आम सूचना जारी की जा चुकी है। जिसकी अवधि पूर्ण नही हुई है। लेकिन प्रकरण राज्य सरकार की बजट घोषणा से संबंधित है। इसलिए अतिशिघ्र निस्तारण किया जाना है। अतः आपत्ति सूचना की निस्तारण की प्रत्याशा में प्रकरण निर्णय हेतु समिति के समक्ष रखा जाना है।

Scanned with OKEN Scanner

भूमि आवंटन नीति –2015 के अनुसार राजकीय विभागो को निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रकरण प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का प्रावधान हैं।

अतः आवेदित प्रकरण में राजस्व ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा सं 01 में 2000 व.मी भूमि सचिव, जिला युवा बोर्ड, जोधपुर को यूथ हॉस्टल निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार विमर्श निर्णय हेतु प्रस्तुत है। प्रकरण में आम सूचना की समयावधि पूर्ण होनी शेष है, जिसका निस्तारण समयावधि पश्चात जेडीए, जोधपुर के स्तर पर किया जाकर राज्य सरकार को अवगत करवा दिया जावेगा।

निर्णय

बैठक में उपायुक्त जोन–6 द्वारा अवगत करवाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023–24 की अनुपालना में जिला युवा बोर्ड जोधपुर को यूथ हॉस्टल निर्माण हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि राजस्व ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा नं. 01 में तदनुसार निःशुल्क आवंटन किया जाना है। उक्त के संबंध में आपति/सुझाव हेतु सूचना जारी की जा चुकी है जिसकी समयावधि पूर्ण नहीं हुई है। चूंकि प्रकरण राज्य सरकार की बजट घोषणा से संबंधित है एवं अतिशीघ्र निस्तारण किया जाना है। समयावधि पूर्ण होने पर यदि कोई आपति प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण किये जाने की प्रत्याशा में बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला युवा बोर्ड जोधपुर को यूथ हॉस्टल निर्माण हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि राजस्व ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा नं. 01 में निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा की जाती है। प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 :: **ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में परिवहन विभाग हेतु आरटीओ कार्यालय एवं वाहनों का पंजीयन, फिटनेस, करारोपण एवं वसूली, वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण, पर्वतन कार्य, स्वामित्व अंतरण, लाइसेंस (ऑटोमेटिक ड्राईविंग ट्रैक) आदि कार्य कियान्वित हेतु भवन एवं Automated Fitness Testing Stations हेतु कुल रकबा 32000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन बाबत्।**

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में परिवहन विभाग हेतु आरटीओ कार्यालय एवं वाहनों का पंजीयन, फिटनेस, करारोपण एवं वसूली, वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण, पर्वतन कार्य, स्वामित्व अंतरण, लाइसेंस (ऑटोमेटिक ड्राईविंग ट्रैक) आदि कार्य कियान्वित हेतु भवन एवं Automated Fitness Testing Stations हेतु कुल रकबा 32000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन बाबत् अभिशंषा की गई है।

आयुक्त परिवहन एवं सडक सुरक्षा द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र–स एवं परिशिष्ट–1 में 1आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में परिवहन विभाग हेतु आरटीओ कार्यालय एवं वाहनों का पंजीयन, फिटनेस, करारोपण एवं वसूली, वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण, पर्वतन कार्य, स्वामित्व अंतरण, लाइसेंस (ऑटोमेटिक ड्राईविंग ट्रैक) आदि कार्य कियान्वित हेतु भवन एवं Automated Fitness Testing Stations हेतु के लिये कुल रकबा 32000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में किस्म गै.मु.गौचर राजस्व जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम हस्तान्तरण करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

Scanned with OKEN Scanner

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त आवेदित भूमि का डीसीआर अनुसार Festival City Land Use esa Government Utilities सक्षम स्तर पर अनुमोदन पश्चात् सभी सडक पर दी जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 5/1 ग्राम बडली से संबंधित कोई वाद लम्बित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 06/06/2023 को अपलोड किया गया है, आपति की समयावधि पूर्ण नहीं हुई है निर्धारित समयावधि में यदि कोई आपति आती है तो उसका निस्तारण प्राधिकरण स्तर पर किये जाने की प्रत्यशा में प्रकरण में निर्णय किया जाना है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार राजकीय विभागों को इतने बडे क्षेत्रफल की भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है। अतः प्रकरण में भूमि आवंटन नीति 2015 में शिथिलता देते हुए निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना अपेक्षित है।

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में परिवहन विभाग हेतु आरटीओ कार्यालय एवं वाहनों का पंजीयन, फिटनेस, करारोपण एवं वसूली, वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण, प्रवर्तन कार्य, स्वामित्व अंतरण, लाइसेंस (ऑटोमेटिक ड्राईविंग ट्रैक) आदि कार्य कियान्वित हेतु भवन एवं Automated Fitness Testing Stations हेतु कुल रकबा 32000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन का प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में उपायुक्त जोन–5 द्वारा अवगत करवाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023–24 की अनुपालना में ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में परिवहन विभाग हेतु आरटीओ कार्यालय एवं वाहनों का पंजीयन, फिटनेस, करारोपण एवं वसूली, वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण, प्रवर्तन कार्य, स्वामित्व अंतरण, लाइसेंस (ऑटोमेटिक ड्राईविंग ट्रैक) आदि कार्य कियान्वित हेतु भवन एवं Automated Fitness Testing Stations हेतु कुल रकबा 32000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किया जाना है। उपायुक्त जोन–5 द्वारा अवगत करवाया गया कि खसरा संख्या 5/1 का नामान्तरण जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम किया जा चुका है। उक्त के संबंध में आपति/सुझाव हेतु सूचना जारी की जा चुकी है जिसकी समयावधि पूर्ण नहीं हुई है। चूंकि प्रकरण राज्य सरकार की बजट घोषणा से संबंधित है एवं अतिशीघ्र निस्तारण किया जाना है। समयावधि पूर्ण होने पर यदि कोई आपति प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण किये जाने की प्रत्याशा में बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में परिवहन विभाग हेतु आरटीओ कार्यालय एवं वाहनों का पंजीयन, फिटनेस, करारोपण एवं वसूली, वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण, प्रवर्तन कार्य, स्वामित्व अंतरण, लाइसेंस (ऑटोमेटिक ड्राईविंग ट्रैक) आदि कार्य कियान्वित हेतु भवन एवं Automated Fitness Testing Stations हेतु कुल रकबा 32000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा की जाती है। प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: **ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 में महर्षि नवल स्वामी पेनोरमा हेतु कुल रकबा 02 बीघा (3200 वर्गमीटर) भूमि निःशुल्क आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 में महर्षि नवल स्वामी पेनोरमा हेतु कुल रकबा 02 बीघा (3200 वर्गमीटर) भूमि निःशुल्क आवंटन बाबत् अभिशंषा की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान धरोहर प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र–स एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 में महर्षि नवल स्वामी पेनोरमा हेतु कुल रकबा 02 बीघा (3200 वर्गमीटर) भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 में किस्म गै.मु.भाकर राजस्व जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में निहित है तथा उक्त भूमि पहाडी की तलहटी में स्थित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2031 अनुसार Land Use Highway Coridor Zone (U-3) & Plantation Belt सडक के किनारे आ रहा है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार यू–3 भू–उपयोग आवेदित प्रयोजन का उल्लेख नहीं है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 812 ग्राम केरू से संबंधित प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है किन्तु मौका की वस्तुस्थिति अनुसार आवंटन करने का निर्णय लिया जाना उचित है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 24/05/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवंटन नीति 2015 अनुसार पेनोरमा हेतु भूमि आवंटन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

अतः ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 में महर्षि नवल स्वामी पेनोरमा हेतु कुल रकबा 02 बीघा (3200 वर्गमीटर) भूमि निःशुल्क आवंटन का प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 में महर्षि नवल स्वामी पेनोरमा हेतु कुल रकबा 02 बीघा (3200 वर्गमीटर) भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा की जाती है। प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: **ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय हेतु रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय हेतु रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा आवंटन नीति 2015 के प्रावधानों के अनुरू प्रपत्र–स एवं परिशिष्ट–1 में दिनांक 05.06.2023 को आवेदन पेश कर ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय हेतु रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 रकबा 806 बीघा किस्म गै.मु. पहाड राजस्व जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में निहित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार पटवारी द्वारा प्रदत्त लोकेशन अनुसार प्रश्नगत भूमि में यू2 प्रयोजनार्थ भू–उपयोग में आरक्षित है। एमडीपी की 48 मी. सडक पर स्थित है एवं जेडडीपी 18 मी. एवं 36 मी. सडक से प्रभावित है। एमडीपी की यू–2 भू–उपयोग की डीसीआर अनुसार पब्लिक एण्ड सेमी पब्लिक यूज के अन्तर्गत 18 मी. सडक पर एज्युकेशनल इण्डस्ट्रीटुशनल अनुज्ञेय दर्शाये गये है।

Scanned with OKEN Scanner

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 45 ग्राम चौखा से संबंधित कोई वाद लम्बित नहीं है। अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा नं. 45 महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय हेतु रकबा 806 बीघा की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 07.06.2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार विश्वविद्यालय को 30 एकड तक भूमि आवंटित करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय हेतु रकबा 30 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में उपायुक्त जोन–4 द्वारा अवगत करवाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023–24 की अनुपालना में ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय हेतु रकबा 30 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन किया जाना है। उक्त के संबंध में आपति/सुझाव हेतु सूचना जारी की जा चुकी है जिसकी समयावधि पूर्ण नहीं हुई है। चूंकि प्रकरण राज्य सरकार की बजट घोषणा से संबंधित है एवं अतिशीघ्र निस्तारण किया जाना है। समयावधि पूर्ण होने पर यदि कोई आपति प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण किये जाने की प्रत्याशा में बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय हेतु रकबा 30 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा की जाती है। प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2023/2281-2285 दिनांक :: 08 जून, 2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
02. निजी सचिव (आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
03. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि/वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
04. उप सचिव एवं उपायुक्त जोन–1/2/3/4/5/6, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
05. ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner